

27

संख्या-651/22-4-13-48(5)/03टी0सी0

प्रेषक,
आर0के0 द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,
महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक- 29 मई, 2013

विषय:- जिला कारागार, संतकबीरनगर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि 16.194 हे0 के अवशेष प्रतिकर के सम्बन्ध में।

महोदय,

30.5.13

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13614/नम-3, दिनांक 01.5.2013 के सन्दर्भ में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये जिला कारागार, संतकबीरनगर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि 16.194 हे0 के अवशेष प्रतिकर हेतु शासनादेश संख्या-1593(1)/22-4-12-48(5)/03, दिनांक-29.01.2003 द्वारा स्वीकृत प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रू0-9,54,985/- (रुपया नौ लाख चौवन हजार नौ सौ पच्चासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-


29.5.13

- (1) स्वीकृत धनराशि का वितरण निर्धारित अवधि तक अवश्य कर दिया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0 या बैंक एकाउन्ट में नहीं रखी जायेगी।
- (3) धनराशि का उपयोग करने के बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-25 के पूंजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीयत परिव्यय-800-अन्य व्यय-09-नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-987/ दस-2013,दिनांक 29 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

313
अज्ञेय
30-5-13

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
अनु सचिव।

.....2

संख्या-651(1)/22-4-13 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आव-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।